उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-10

संख्या-82 /2023/यू0ओ0-34/23-10-2023-15(**सामान्य)/**2023

लखनऊः दिनांक 29 मार्च, 2023

<u>शुद्धि-पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2022-23 **में राज्य योजना (सामान्य) के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के** 04 **लघु सेतुओं के निर्माण कार्य हेतु कुल लागत रू**0 781.77 **लाख (रूपये सात करोड़ इक्यासी लाख सतहत्तर हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये अनुदान सं**0-57/83 **से कुल धनराशि रू**0 491.53 **लाख (रूपये चार करोड़ इक्यानबे लाख तिरपन हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या-78/2023/478/23-10-23- 15 (सामान्य)/2023 दिनांक 28.03.2023 को संशोधित करते हुये शासनादेश संख्या-78/2023/001-1443/23-10-23 दिनांक 28.03.2023 पढ़ा जाये।**

2- उक्त शासनादेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा शेष तथ्य एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

लाल धीरेन्द्र राव
विशेष सचिव।

<u>संख्या-82/2023/यू0ओ0-34/23-10-2023-15(सामान्य)/2023-तद्दिनांक ।</u>

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः</u>

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0, प्रयागराज ।
2- संबंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी ।
4- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
4- संबंधित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग ।
5- मुख्य अभियन्ता (सेतु) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
6- संबंधित वरिष्ठ कोषाधिकारी ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 ।
8- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
9- बजट आवंटन अधिकारी, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन/ गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**